राज्य स्कीम

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–4 / निदे0 अनु0 जनजाति छात्रावास राज्य स्कीम (सा0 एवं पू0)–182–06 / 2026-51

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–19/05/2026

विषयः **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों तथा अनु0 जनजाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को आवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु सामग्री व पूर्तियॉं मद में ₹2400.00 लाख (चौबीस करोड़ रू0) मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश– ***स्वीकृत।***

2– राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों तथा अनु0 जनजाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को आवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु सामग्री व पूर्तियॉं मद में ₹2400.00 लाख (चौबीस करोड़ रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भोजनादि, पोशाक, चौकी, मैट्रेस, डेस्क–बेंच, वाटर–प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल–सामग्री, टी0भी0, पंखा, अग्निशमन यंत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी, आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड एवं रोटी मेकर आदि की आपूर्ति पर व्यय किया जायेगा।

3– स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–277 शिक्षा, उपशीर्ष–0101–शिक्षा, विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियॉं, मांग संख्या–44–विपत्र कोड 44–2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त नियंत्री पदाधिकारी होगें।

5– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान, महालेखाकार बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7— राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

8— प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन सं0सं0—4 / निदे0 अनु0 जनजाति छात्रावास राज्य स्कीम (सा0 एवं पू0)—182—06 / 2026—के पृष्ठ—09 / टिप्पणी पर प्राप्त है।

9— कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14.05.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—4 / निदे0 अनु0 जनजाति छात्रावास राज्य स्कीम(सा0एवंपू0)182—06 / 2026—51 पटना, दिनांक—19/05/202

प्रतिलिपि :—(1) वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / उप निदेशक(मु0), अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग / सहायक निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग / प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित उप विकास आयुक्त / सभी संबंधित उप निदेशक कल्याण / सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

(5) आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.05.26

सरकार के सचिव।